तारीख	प्रकरण संख्या 47 / 2022 तहसीलदार रानी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सांवलता **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-7-2023	पत्रावली आज पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि तहसीलदार द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज.भु राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक 5061 दिनांक 09.12.1977 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आदेश/निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय को सुनवाई के अधिकार नही होने के कारण प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार रानी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नये सिरे से विस्तृत जांच कर जाचं रिपोर्ट मय राजस्व रेकर्ड प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानी को पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible], पाली	